22/7/24

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। सुनी गयी बहस एवं मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन कि अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जावे। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वाके मौजा अहीर का बास प.ह. [illegible] के [illegible] खसरा नम्बर 285 का मूलवाद के निस्तारण तक मौका व निर्माण की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के शामिल हो।